

रामनवमी

2018

107 दण्डाधिकारी चाप धरवाहा समाप्त

मोहम्मद सरकार

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

वनाम

नईम अंसारी
वगैरे

आदेश पत्रक

22/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 38 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी करी के अप्राथमिकी संख्या :- 03/18

91
22/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~को मोहम्मद 2018~~

रामनवमी - 2018

जिससे संभ्रमण है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 24/3/18 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

खूँटी

31/8/18

द्वितीय पक्ष उपस्थित। आशुभ
 में उपस्थित होकर अपने मता से
 किसी प्रकार का अशान्ति नहीं होने
 का जवाब देना चाहिये किसे है।
 यमनवमी का लोहार शान्तिपूर्वक संपन्न
 हो गया है। सभी पक्षकारों के जवाब
 के आनेक में इस वाद को समाप्त
 किया जाता है।

31/8/2018

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including words like 'आशुभ', 'संपन्न', 'जवाब', 'समाप्त', 'किया जाता है']